न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —29 / 2024 (अपील)

GCMS No.- 2024/100

हरिराम उर्फ कौशल कुमार नागर आत्मज श्री तुलसीराम नागर जाति धाकड़ निवासी हरिओम बस्ती रंगबाडी, कोटा राज0

बनाम

1. बाली बाई बेवा तुलसीराम जाति धाकड निवासी हरिओम बस्ती रंगबाडी, कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तरकरण संख्या —135 दिनांक 22.05.1993 ग्राम जाखोड़ा न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा

उपस्थितः—

1. श्री ओमप्रकाश नागर अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सियाराम नागर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 1

निर्णय

दिनांक— 08.07.2024

1 अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जाखोड़ा में खातेदार तुलसीराम फोत होने पर खातेदार के नाम भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 6.76 हे0 की भूमि का तहसीलदार लाडपुरा द्वारा फोती नामान्तरकरण संख्या 135 दिनांक 22.05.1993 उनके वारिसान के नाम खोला जिसमें अपीलान्ट का नाम हरिराम नाबालिग संरक्षिका माता दर्ज किया गया।

2 तहसीलदार लाडपुरा के उक्त नामान्तरकरण आदेश में अपीलान्ट का नाम कौशल कुमार नागर के स्थान पर हरिराम दर्ज किये जाने की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.05.2024 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ जरिये अभिभाषक ओमप्रकाश नागर के पेश की है कि ग्राम जाखोड़ा में खाता संख्या नया 232 पुराना 204 की खसरा नम्बर 13 की रकबा 6.76 हे0 आराजी स्थित है जो खातेदार के फोत होने पर वारिसान के नाम दर्ज की गई, जिसमें अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलांट का नाम नाबालिग पुत्र हरिराम जर्ये वली माता बाली बाई दर्ज कर दिया गया, जबकि अपीलांट का वास्तविक नाम कौशल कुमार नागर है ।

3 अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट नं0 01 की ओर से अभिभाषक श्री सियाराम नागर का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4 वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट की आयु उस समय केवल मात्र 7 दिन थी, अपीलान्ट के पिता तुलसीराम आत्मज किशोरीलाल का देहावसान दिनांक 15.10.92 को हो चुका था । उस समय अपीलान्ट का नाम करण भी नहीं हुआ थी, इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा बिना जानकारी के अपीलान्ट का नाम नाबालिग पुत्र हरिराम जर्ये वली माता बाली बाई दर्ज कर दिया जो कि त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अपीलांट का नामकरण होने के बा्द अपीलान्ट का नाम कौशल कुमार नागर विद्यालय में लिखवाया गया और कौशल कुमार नागर के नाम से

जिला कलेक्टर
कोटा

ही अपीलान्ट को जाना एवं पहचाना जाता है एवं अपीलान्ट के सम्पूर्ण दस्तावेज कौशल कुमार नागर के नाम से बने हुए है जिनमें आधार कार्ड ग्राम पंचायत जाखोड़ा का पहचान पत्र आयकर विभाग से पेन कार्ड पाठशाला में प्रवेश मतदाता पहचान पत्र ड्राईविंग लाइसेन्स एवं परिवार का जनाधार कार्ड,एवं राशन कार्ड एवं प्रार्थी की माता के साथ संयुक्त खाता भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटा में है । अपीलान्ट के खाते आराजी में नाम हरिराम दर्ज होने से किसान क्रेडिट कार्ड एवं सहकारी संस्था एवं अन्य संस्था से ऋण लेने, कृषि के लिये अन्य कार्य में भी परेशानियों का सामना करना पड रहा है । अपीलान्ट को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की आवश्यकता पडने पर तहसील में सम्पर्क किया तब तहसीलदार जी ने अपीलान्ट को अवगत कराया कि आपके दस्तावेज कौशल कुमार नागर के नाम से है जबकि आपका नाम खातेदारी एवं राजस्व रिकार्ड में हरिराम पुत्र तुलसीराम दर्ज है तब अपीलान्ट को जानकारी हुई तब से ही अपीलान्ट नाम दुरूस्त करवाने हेतु तहसील में एवं राजस्व कर्मचारियों के चक्कर लगाता चला आ रहा है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.5.93 को निरस्त फरमाया जाकर दस्तावेजों के आधार पर अपीलांट का नाम हरिराम के स्थान पर कौशल कुमार नागर एवं नाबालिग से बालिग इंतकाल में दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

5 वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

6 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील नामान्तकरण संख्या 135 दिनांक 22.05.1993 के विरूद्व दिनांक 29.05. 2024 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 केप्रार्थना पत्र के साथ पेश की है जो मियाद बाहर है किन्तु धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया है तथा कोई आपत्ति जाहिर नहीं करने से मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है ।

7 अपीलान्ट का प्रस्तुत अपील में मुख्य कथन है कि ग्राम जाखोड़ा में उनके पिता तुलसीराम फोत होने पर उनके नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 6.76 हे0 का तहसीलदार लाडपुरा द्वारा फोती नामान्तकरण संख्या 135 दिनांक 22.05.1993 उनके वारिसान के नाम खोला जिसमें अपीलान्ट का नाम हरिराम नाबालिग संरक्षिका माता दर्ज किया गया जो गलत बताया गया है, अपीलांट के पिता के फौत होने के समय अपीलांट नाबालिग था, तथा बोलता नाम तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तकरण में दर्ज किया गया है, वास्तविक नाम कौशल कुमार होना बताया है, जिसके आवश्यक दस्तावेज साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किये है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर एवं रेस्पो0 माता द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं करने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है ।

8 परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 135 दिनांक 22.5.1993 ग्राम जाखोड़ा अपीलांट के नाम जांच कर शुद्वि करने की हद तक निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है । नामान्तकरण का शेष भाग यथावत रहेगा । तहसीलदार लाडपुरा को आदेशि दिये जाते है कि अपीलांट के नाम की जांच करते हुए एक माह के अन्दर अपना निर्णय पारित करें ।

9 निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा